

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : ई0 / FCA/348
सेवा में

दिनांक : 10/5/2023

उप-वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.5853 ha. of forest land for Laying of RCC NP2 Pipeline of 1000mm dia in the length of 9000 feet along Habri to Sirsal road, Right side in Habri under forest division and District Kaithal, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/148416/2021)

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB112/2022-CHA दिनांक 26.06.2022 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, कैथल से प्राप्त सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती है:-

- i) In Part-I online, village-wise break-up of all villages has been uploaded.
- ii) Corrected Temporary employment (in person days) figures has been uploaded
- iii) In online Part-II, under column 4(ii), scientific name & local name of trees have been uploaded.
- iv) Separate NPV calculation sheet as per vegetation density and eco-class given in part-II online, has been uploaded.
- v) Revised DGPS map with latitude/longitude has been uploaded under column 13 (iii) Part 2.
- vi) Approval of the project by competent authority has been uploaded.
- vii) Layout plan for the proposed pipe line as well as pump house showing component wise/Dimension wise area details duly approved by the competent authority has been uploaded.
- viii) Reply given by DFO Kaithal letter No. 1142 dated 29.09.2022 is attached herewith vide which DFO has written that 2400 No. of plants will be planted at Amin Drain RD 56-80 L&R/side and for protection of these plants, 1610 fencing post & 4800 quintal Barbed wire will be required. In this regard, as per departmental cost norms, @ 2 lac per RKM has been proposed in CA scheme.

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति बारे आगामी कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।

4
3/5/23
3
04/5/23

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय : उप वन संरक्षक, कैथल वन मण्डल, कैथल

फायर ब्रिगेड के सामने नजदीक पेहवा चौक, कैथल-136027, फोन व फेक्स: 01746&228095

E-mail - dfo.ktl-hry@nic.in

क्रमांक :- 1442

दिनांक :- 29/09/22

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.5853 Ha. of Forest Land for Laying of RCC NP2 Pipeline of 1000 mm dia in the length of 9000 Feet along Habri to Sirsal Road, Right Side in Habri Village, Tehsil & District Kaithal (Haryana), under Forest Division & Distt. Kaithal, (Haryana). FP/HR/Pipeline/148416/ 2021.

संदर्भ :-

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), IRO, MoEF&CC, Chandigarh का फाईल नं० 9-HRB112/2022-CHA Dated June, 2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सदभाकित पत्र द्वारा लगाई गई त्रुटियों को दूर करते हुए मागी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से आपको भेजी जाती है :-

- मद सं० 1 की सूचना प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गई है।
- मद सं० 2 की सूचना प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गई है।
- मद सं० 3 की सूचना इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गई है।
- मद सं० 4 की सूचना के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि Separate NPV calculation sheet according to vegetation density and Eco-class के अनुसार तैयार कर दी गई और ऑनलाईन भी अपडेट कर दी गई है, जिसकी प्रति साथ संलग्न है।
- मद सं० 5 की सूचना के सम्बन्ध में Revised CA DGPS Map पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है व प्रति साथ संलग्न है।
- मद सं० 6 की सूचना प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गई है।
- मद सं० 7 की सूचना प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गई है।
- मद सं० 8 की सूचना के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि वन राजिक अधिकारी, पूण्डरी की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 2400 नं० पौधे अमीन ड्रेन आर०डी० 56-80, दोबारा साईड करवाए जाने प्रस्तावित हैं और उक्त पौधों की सुरक्षा हेतु 1610 फेंसिंग पोस्ट और 4800 विद्युतल कॉटेदार तार की आवश्यकता रहेगी। जिसके संदर्भ में सी०ए० स्कीम के अन्दर Barbed Wire Fencing हेतु विभागीय कोस्ट नामर्ज अनुसार 2 लाख प्रति आर०के०एम० की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंन्सी से जमा करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि प्रस्ताव में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने/करवाने की अनुकम्पा करें।

पृ० क्रमांक :- 1443

दिनांक :- 29/09/22

उप वन संरक्षक,

कैथल, H.C.

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परि०, हरियाणा, अम्बाला को सूचनाथे एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,

1. कैथल, H.C.